

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

संख्या- 57/2014

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला-बारां (राज०)

(प्रार्थी)

बनाम

रामबिलास पुत्र छगनलाल जाति मीना निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां

(अप्रार्थी)

रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :- 1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक

(अप्रार्थी)

आदेश दिनांक- 11.11.2024

प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख०नं० 662 रकबा 0.59 है., किस्म नहरी । ग्राम मूण्डली तहसील-मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014-23 में खसरा नंबर 483/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख०नं० 662 रकबा 0.59 है., किस्म नहरी । कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से रामबिलास पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2069-72 अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी०बी० सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जयें अभिभाषक उपस्थित हुए तथा पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

3- हमने बहस उभयपक्ष परोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस परोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014-23 में खसरा नंबर 483/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख०नं० 662 रकबा 0.59 है., किस्म नहरी । कायम कर अवैधानिक रूप से रामबिलास पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली के गैर खातेदारी में दर्ज है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2069-72 अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी०बी०सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.



जिला कलक्टर
बारां (राज०)

2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थनापत्र धारा-82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4- दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि मौके पर कोई तलाई मौजूद नहीं थी और ना वर्तमान में मौके पर कोई तलाई है। वर्तमान में अप्रार्थी विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी अप्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेंस खारिज फरमाया जावे।

5- हमने परोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014-23 ग्राम मूण्डली में विवादित आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 483 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसमें से खसरा नंबर 483/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का रामबिलास पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत् 2044-63 नये खसरा नम्बर 662 रकबा 0.59 है., किस्म नहरी 1 बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार रामबिलास पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। रामबिलास पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है।


6- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7- परिणास्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेंस प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम मूण्डली में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 0.59 है., किस्म नहरी 1 जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 483/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका रामबिलास पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी मूण्डली को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8- तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 11.11.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज०)